पंचम माला, खंड 10, अंक 21 — शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1971/19 अग्रहायण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. X, No. 21 Friday, December 10, 1971/Agrahayana 19, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 10 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. X Contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1791/19 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 21, Friday, December 10, 1971/Agrahayana 19, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1-3
रेलवे अभिसमय समिति कार्यवाही सारांश	Railway Convention Committee— Minutes	3-4
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya-Sabha	4
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति पहला प्रतिवेदन	Joint Committee on Offlices of Profit— First Report	4
लोक लेखा समिति 20 वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee— Twentieth Report ...	5
विशेषाधिकार समिति पहला प्रतिवेदन	Committee of Privileges— First Report	5
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति दूसरा प्रतिवेदन	Committee on Subordinate Legislation— Second Report	5
सभा का कार्य	Business of the House	5-6
मदुराई के निकट इण्डियन एयरलाइन्स के एक एवरो विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Crash of Indian Airlines Avro Aircraft near Madurai—	
डा० कर्णसिंह	Dr. Karan Singh	6-7
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना	Taxation Laws (Amendment) Bill— Extension of time for presentation of Select Committee Report.	7-8

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	8
(एक) उपदान संदाय विधेयक	Payment of Gratuity Bill	8
(दो) उद्योग विकास और विनियमन संशोधन विधेयक	Industries (Development and Regulation) Amendment Bill.	8-9
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re. Industries (Development and Regulation) Amendment Ordinance—	
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury	9
(तीन) दिल्ली सड़क परिवहन विधियाँ (संशोधन) विधेयक	Delhi Road Transport Laws (Amendment) ... Bill.	9-10
दिल्ली सड़क परिवहन विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re Delhi Road Transport Laws (Amendment) Ordinance—	
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	10
ऐशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक	Asian Refractories Limited (Acquisition ... of Undertaking) Bill.	10-16
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	15
श्री स्वर्णसिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	10-12
श्री जे० एम० गौडर	Shri J.M. Gowder	12
श्री दामोदर पाण्डे	Shri Damodar Pandey	13
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	13
डा० कैलास	Dr. Kailas	13
श्री मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	14-15
खण्ड 2 से 11 तथा 1	Clauses 2 to 11 and 1	15-16
पारित करने का प्रस्ताव	Motioh to Pass	16

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
कोक कोयला खान (आपात उपबंध) विधेयक	Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Bill—		
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider		16
श्री मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam		16-18
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Comittee on Private Members Bills and Resolutions—		
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report		18
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में संकल्प	Resolution re Rise in Prices of Essential Commodities.	...	19-21
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	...	19
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh		19-20
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	...	20-21
बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प	Resolution Re. Unemployment Problem	...	21-26
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	...	21-22
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu		23
डा० वी० के०आर० वर्दराज राव	Shri V.K.R. Varadaraja Rao	...	23-24
श्री जे० एम० गौडर	Shri J.M. Gowder	...	24-25
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga		26

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 1971/19 अग्रहायण, 1893 (शक)
Friday, December 10, 1971/Agrahayana 19, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Ten of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3249 (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त, 19 1 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में संसदीय तथा विधान सभायी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 की अनुसूची 5 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 1249/71]

कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, डाक-घर बचत-पत्र नियम, राष्ट्रीय बचत-पत्र नियम के अन्तर्गत पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, कृषिक पुनर्वित्त निगम, बम्बई, के 30 जून, 1971 के समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1250/71]

(2) सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) डाकघर बचत-पत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1821 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत-पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1822 में प्रकाशित हुए थे।
[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1251/71]

वायु निगम अधिनियम के अन्तर्गत नियम

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): मैं वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वायु निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5092 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1252/71]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री बेदब्रत बरूआ): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1665 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिनियम, की अनुसूची 6 में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1253/71]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के अन्तर्गत पत्र

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या

जी० एस० आर० 1757 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1254/71]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः

(एक) जी० एस० आर० 1675, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1725, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1758, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1255/71]

(3) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर स्टाम्प अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसूर की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1327 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 1256/71]

(4) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात शिक्षा उपकर अधिनियम, 1962 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०–58) एस०यू०ए०–1071 (7)-टी०एच० (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1257/71]

रेलवे अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री आर० के० सिंह (फैजाबाद): मैं रेलवे अभिसमय समिति, 1971 की 6 सितम्बर, और

21 सितम्बर, 20 अक्तूबर तथा 30 नवम्बर, 1971 को हुई क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव: श्रीमान, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी हैं:—

(एक) कि राज्य सभा ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार, 8 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में, लोकसभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये संविधान (25 वां संशोधन) विधेयक, 1971 को बिना किसी संशोधन के पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबधों के अनुसार, 9 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 2 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये संविधान (26 वां संशोधन) विधेयक, 1971 को बिना किसी संशोधन के पास किया है ।

(तीन) कि राज्य सभा, 9 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये आपात संकट (माल) बीमा विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(चार) कि राज्य सभा, 9 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये आपात संकट (उपक्रम) बीमा विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

पहला प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराभार) : श्रीमान, मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

बीसवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): मैं परिवहन और नौवहन मंत्रालय तथा कलकत्ता, बम्बई और कोचीन पत्तन न्यासों के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 सम्बन्धी समिति के 113 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 20 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

पहला प्रतिवेदन

श्री आर०डी० भंडारे (बम्बई मध्य): मैं विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

दूसरा प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान, मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 13 दिसम्बर, 1971 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य विचारार्थ लिया जायेगा :

(1) आज की कार्य सूची की सरकारी कार्य की किसी ऐसी मद पर विचार जो आज न निबटाई जाय।

(2) रेलवे अभिसमय समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(3) दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा, और

दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार तथा इसे पास करना।

(4) विचार तथा पास करना :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 1971

(ख) वैयक्तिक क्षति (प्रतिपूर्ति बीमा) संशोधन विधेयक, 1971

(ग) वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक, 1971

(घ) अत्यावश्यक वस्तुएं (संशोधन) विधेयक, 1971

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 में रूपभेद करने के प्रस्ताव पर विचार, जो श्री एन० के० पी० साल्वे द्वारा पेश किया जाएगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें अमरीकी रवैये के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करनी चाहिये।

श्री राज बहादुर : यह मामला सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि जिस युद्ध स्थिति का हम सामना कर रहे हैं, उसमें इस पर चर्चा करना देश के हित में होगा अथवा नहीं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : हम अमरीकी रवैये की आलोचना करना चाहते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : अमरीका और पश्चिम जर्मनी की सरकारें महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रही हैं जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय नीति पर आघात करते हैं अतः इस विषय पर चर्चा करके उनका उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री राज बहादुर : हम इस सम्बन्ध में राजनयिक स्तर पर उनका प्रतिकार कर रहे हैं और इस पर चर्चा करने की बात को सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मदुराई के निकट इण्डियन एयरलाइन्स के एक एवरो विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. CRASH OF INDIAN AIRLINES AVRO AIRCRAFTS NEAR MADURAI

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं खेद के साथ सदन को सूचित करता

हूं कि इंडियन एयरलाइन्स का एवरो विमान वी० टी० डी० एक्स० जी० जोकि त्रिवेन्द्रम से मदुराई तक की अनुसूचित उड़ान पर था, कुम्बभ गांव के पास, जोकि मदुराई से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर उत्तमपलेयामु तालुका में कोट्टायम से पोरियाकुलम जाने वाली सड़क पर स्थित है, कल लगभग 12.30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह स्थान अनुमोदित ट्रैक से लगभग 20 मील की दूरी पर है। विमान त्रिवेन्द्रम से 11.54 बजे उड़ा और इसमें 27 यात्री तथा 4 कार्मिक थे। यात्रियों तथा कार्मिकों की एक सूची सभा-पटल पर रखी है। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1260/71**] इनमें ग्यारह व्यक्ति जीवित हैं जिनका मदुराई में डाक्टरी इलाज हो रहा है।

2. यह विमान मदुराई में लगभग 12.26 बजे आना था। विमानचालक को प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, इस क्षेत्र में आकाश में सामान्यतया बादल छाये हुए थे और रुक रुक कर थोड़ी-थोड़ी बौछारें पड़ रही थीं। वायुवेग सामान्य था तथा दृश्यता भी अच्छी थी।

3. कैप्टन के० एल० रेड्डी, जोकि ढ़ाई वर्ष के कमाण्ड अनुभव प्राप्त विमान चालक हैं, ने केन्द्रीय मदुराई से अन्तिम बार 12.18 बजे सम्पर्क स्थापित किया था, जब उसने सूचित किया कि वह 11000 फुट की ऊंचाई से नीचे आ रहा है और जिसने मदुराई पहुंचने का समय लगभग 12.26 बजे बताया। जब विमान निर्धारित समय पर उतरने (लैंड करने) में असफल रहा तो तुरन्त 'ओवरड्यू' कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा सभी निकटस्थ विमान क्षेत्रों को सतर्क कर दिया गया। इसके साथ-साथ, तिरुचिरापल्ली स्थित एक हेलीकाप्टर, त्रिवेन्द्रम से पुष्पक विमान तथा नौसेना के एक डकोटा विमान से तलाश जारी कर दी गई।

4. विमान के मलबे को देखने की पहली सूचना इंडियन एयरलाइन्स के क्षेत्रीय मुख्यालय, मद्रास, को 16.30 बजे एक "टी एस्टेट" के मैनेजर से प्राप्त हुई। एक दल को, जिसमें इंडियन एयरलाइन्स के मदुराई स्थित स्टेशन मैनेजर, पुलिस अधिकारी तथा डाक्टर सम्मिलित थे, तुरन्त रवाना कर दिया गया।

5. यही एकमात्र ऐसा एवरो विमान था जिसकी 1967 में परिचालन आरम्भ होने से अब तक इंडियन एयरलाइन्स की सेवा में कोई दुर्घटना नही हुई थी। दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत नियुक्त की जा रही है। मुझे आशा है कि यह सदन मृतकों के परिवारों को हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने में मेरा साथ देगा।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया जाना

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम 1957 तथा दान-कर

अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपदान संदाय विधेयक

PAYMENT OF GRATUITY BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि फैक्टरियों, खानों, बागानों, दुकानों या अन्य स्थापनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उपदान संदाय की स्कीम तथा तत्सम्बन्धी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फैक्टरियों, खानों, बागानों, दुकानों या अन्य स्थापनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उपदान संदाय की स्कीम तथा तत्सम्बन्धी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग

(विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह एक अध्यादेश है। क्या यह विधेयक और उपदान संदाय विधेयक इसी सत्र में पारित किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हम इसे निपटाने की भरसक कोशिश करेंगे।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE. INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जैसाकि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन अपेक्षित है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1258/71]

दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) विधेयक

DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) BILL

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए सड़क परिनिगम की स्थापना और, उस प्रयोजनार्थ, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने तथा

उससे सम्बन्धित या उसके ग्रानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की ग्रनुमति दी जाये ।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए सड़क परिनिगम की स्थापना ग्रौर, उस प्रयोजनार्थ, सड़क परिवहन निगम ग्रधिनियम, 1950 ग्रौर दिल्ली नगर निगम ग्रधिनियम, 1957 का ग्रौर संशोधन करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके ग्रानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की ग्रनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

The Motion was adopted.

श्री राज बहादुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) ग्रध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE. DELHI ROAD TRANSPORT LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE

संसदीय कार्य तथा नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं दिल्ली सड़क परिवहन विधियां (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1971 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के ग्रधीन अपेक्षित है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1259/71)

एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का ग्रर्जन) विधेयक

ASIAN REFRACTORIES LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मुझे मालूम नहीं कि यह 81 लाख रुपये कैसे हो गये । श्री छिबर, बोकारो इस्पात संयंत्र के विशेषज्ञ श्री रामपुरिया के यहां काम करते थे । श्री रामपुरिया ने काफी बड़ी धनराशि का घोटाला कर दिया ग्रौर इस संयंत्र पर करोड़ो रुपये का दायित्व है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए ।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : वर्ष 1968 में जो तापसह संयंत्र बन्द हुग्रा था ग्रब वह बेकार पड़ा

हुआ है और मालिकों ने किसी प्रकार सरकार से 81 लाख रुपया पाने का प्रबन्ध कर लिया है। संयंत्र की मशनरी दोषपूर्ण है। जैसा कि कल मंत्री महोदय ने बताया है सरकार इस संयंत्र पर 1.4 करोड़ और लगाने जा रही है। इतनी लागत से इस संयंत्र को अर्जित करने के बजाय सरकार एक नया संयंत्र स्थापित कर सकती थी। सरकार ने अपनी नीति के अनुसार इसे अर्जित करने का निश्चय किया है। सरकार को, इस संयंत्र के लिये 81 लाख रुपये का भुगतान करने से पहले, इस विषय पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये।

इस तापसह संयंत्र का प्रबन्ध बोकारो इस्पात संयंत्र से पृथक होना चाहिये। जहां तक क्षति-पूर्ति का प्रश्न है मेरे विचार से इसके लिये कोई पैसा नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि हमने हाल ही में इस सम्बन्ध में संविधान संशोधन विधेयक पास किया है। यदि हमें यह क्षतिपूर्ति देनी ही है तो इसका भुगतान तुरन्त किया जाना चाहिये। इस राशि पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

मैंने इस्पात, खान तथा खनिज सम्बन्धी समिति में जो बात कही थी, मंत्री महोदय ने अभी तक उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि उन्होंने मेरी बात पर ध्यान दिया होता तो बोकारो इस्पात संयंत्र में आग लगने की घटना न घटती। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? संसद सदस्यों को प्रत्येक कार्यवाही से अवगत कराया जाना चाहिये। अधिकारीगण संसद सदस्यों की बात नहीं सुनते। मेरा अनुरोध है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

मंत्री महोदय ने कल सदन में तापसह संयंत्र के बारे में बताया है। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया है कि क्षतिपूर्ति की यह राशि किस प्रकार निश्चित की गई है? इस संयंत्र को अर्जित करने की क्या तत्काल आवश्यकता थी? इस विषय में सदन में सामान्य ढंग से चर्चा होनी चाहिये थी। इस आशय का विधेयक लाया जाता तो हम निश्चय ही उसे समर्थन देते।

बोकारो इस्पात संयंत्र में बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि भारत तथा रूस की बनी 6 हजार टन तापसह ईंटें नष्ट हो गई हैं। ये ईंटें आग की भट्टियों में लगाई जाती हैं। आग से ये ईंटे किस प्रकार नष्ट हो सकती हैं जबकि उन्हें सदैव ही आग में रखा जाता है! अपना बचाव करने के लिये अधिकारियों ने ऐसा कहा है। इस मामले की जांच करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जानी चाहिये।

कल संसद में श्री शाहनवाज खां ने जो बताया है वह गलत है। इसमें छः महीने नहीं लगते। जैसे ही अन्तिम ईंट भट्टी में लगाई जाती है उसके 24 घन्टे के पश्चात भट्टी कार्य करने योग्य हो जाती है।

खेद का विषय है कि एक करोड़ रुपये के मूल्य की तापसह ईंटें नष्ट हो गई हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है। श्री कुमारमंगलम ने बताया है कि इस संयंत्र के लिए एक करोड़ की राशि कोई अधिक नहीं है। इस बात का अर्थ तब ज्ञात होता है जब अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। यह सार्वजनिक धनराशि है। कर अदा करने वालों की राशि है। 3000 रु० वेतन पाने वाले अधि-

कारियों को अरबों रुपये व्यय करने का अधिकार दिया गया है। जो अधिकारी गलत ढंग से व्यय करते हुए पाये जाते हैं उनकी सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिए। उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। अन्यथा हमारे इस्पात संयंत्र ठीक प्रकार नहीं चल सकते।

***श्री जे० एस० गौडर** (नीलगिरि) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें एक ऐसे संयंत्र को सरकारी अधिकार में लेने की बात की गई है जिसका उत्पादन हमारे इस्पात संयंत्रों के प्रयोग में आता है। इस संयंत्र में उत्पादन वर्ष 1966 में आरम्भ हुआ था परन्तु अनेक कारणवश वर्ष 1968 में यह बन्द हो गया। पता नहीं यह संयंत्र किन कारणों से बन्द हुआ। यदि हानि होने के कारण यह संयंत्र बन्द हुआ है तो इसे वर्तमान गम्भीर परिस्थितियों में अर्जित करने से क्या लाभ है ? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस संयंत्र के बन्द होने के कारणों पर प्रकाश डालें।

सरकार ने इस संयंत्र को अर्जित करने का यह कारण बताया है कि सरकारी क्षेत्र के लौह तथा इस्पात उद्योग की तापसह ईंटों की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। यदि ऐसा है तो इसे अर्जित करने के लिए तीन वर्ष पश्चात राष्ट्रपति की घोषणा क्यों की गई है ! राष्ट्रपति द्वारा इस आशय की घोषणा 17-10-71 को की गई और सरकार को पता था कि लोकसभा की बैठक 15-11-71 से आरम्भ होनी है। तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद क्या सरकार 28 दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी जिससे यह विधेयक सीधा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया होता और अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता न पड़ती। संसद की उपेक्षा की गई है। सरकार को ऐसे कदम उठाने में शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए।

गत सप्ताह ही सदन ने संविधान 25 वां संशोधन विधेयक पारित किया है जिसमें क्षतिपूर्ति के भुगतान की व्यवस्था नहीं है। परन्तु एक सप्ताह पश्चात ही क्षतिपूर्ति देने सम्बन्धी विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है। इस संयंत्र के मालिकों को 81 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा तथा 1.4 करोड़ रुपया संयंत्र को उत्पादन क्षम बनाने में व्यय किया जायेगा। इतनी धनराशि से सरकार एक नया संयंत्र स्थापित कर सकती थी। ठीक प्रकार चल रहा यदि कोई संयंत्र इतनी क्षतिपूर्ति भुगतान करने के पश्चात अर्जित किया जाता है तो उचित है परन्तु एक ऐसे संयंत्र को, क्षतिपूर्ति के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जो 2 वर्ष भी ठीक प्रकार नहीं चल सका, अनुचित है। इस पर भी इस राशि को 10 किस्तों में भुगतान करने के लिए सरकार ने उस पर 7 प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था की है। इस राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाना चाहिए ताकि ब्याज न देना पड़े। मंत्री महोदय को इस सुझाव पर ध्यान देना चाहिए।

जब सरकार द्वारा गैर-सरकारी किसी एकक का अधिग्रहण किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने उससे अधिक लाभ उठा लिया है। अतः उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बात के लिए अब संवैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translaton of the speech delivered in Tamil.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I Congratulate the Government for taking this step because there is a great need of refractories in the country and Hindustan Steel Ltd. has to import refractories amounting to Rs 10 crores. Bokaro Steel Plant has to import seventy thousand tones refractories from abroad. Refracroties are not only required for Hindustan Steels or Bokaro Steel Plant but for all the blast furnaces. The Government had decided as far back as in 1965 to set up a refractories Plant in Public Sector with the investment of Rs. 16 crores. But this Plant has not been set up so far and the result is that we are importing refractories to the tune of Rs. 16 crores every year.

It has been said that this Plant was an old one and would not run properly. I would like to say for their information that this is one of the modern Plants and perhaps the most modern. It could not be run due to the family disputes of the Plant-owners.

We may have ten thousand tones of refractories after investing Rs. 1 crore in this Plant. The Government will have to invest Rs. 10 crores in a new plant to achieve this capacity. If compensation is also taken into account, the expenditure would come to Rs. 2 crores only whereas the expenditure on a new plant comes to Rs. 10 crores.

It has been stated by the hon. Minister that the commissioning of the Plant will take six months. I do not agree with it. The Plant should be started at the earliest possible date and all the Employees working previously therein should be re-employed.

It would be costly to transport the refractories to Bokaro Steel Plant by rail. Rail wagons are not easily available. It is better to link this Plant with Bokaro by road. It is only at a distance of 5 miles. A bridge will have to be constructed over the river Damodar. I am sure that the hon. Minister would give serious consideration to the matter.

There is no uniformity in the wages of workers working in different refractories. This undertaking should be amalgamated with Bokaro Steel Plant and the wage pattern should be introduced here also. If the Government wants to have this undertaking as a separate unit then some agreement regarding wages should be arrived at in advance so that there may be no difficulty later on.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : The targets fixed for the factory in Fourth Plan could not be achieved due to negligence and carelessness and that is why the Government has to take over the refractory. The capacity of the Plant was estimated to be 1250 tones whereas the production achieved is 629 tones.

Now, the refractory has been taken over by the Government and certainly this action is commendable. But what is the guarantee that after taking over the refractory in Public Sector, its production target would be achieved ? Looking at the way the Public undertakings are functioning, such a doubt is natural. Negligences and carelessness of the past should not be repeated again. The hon. Minister should ensure that the production target of the refractory Plant is achieved.

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : ऐशियन रिफ्रेक्टरी को अधिगृहण करने वाला विधेयक लाने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं । 19 सितम्बर, 1965 को सरकार ने यह निश्चय किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में तापसह ईंटें बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छोड़ दिया

जाये । आज गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यकता के अनुसार तापसह ईंटों की सप्लाई न किये जाने के कारण हमारे इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कमी हो रही है। यही नहीं, घटिया प्रकार की ईंटें सप्लाई की जाती हैं। अतः सरकार ने जो यह कदम उठाया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री स्वर्णसिंह सोखी ने जो यह प्रश्न किया है कि जब ये ईंटें तापसह हैं तब आग से 1 करोड़ रुपये के मूल्य की तापसह ईंटों की किस प्रकार क्षति हुई ? मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करानी चाहिए।

क्षतिपूर्ति के रूप में ऐशियन रिफ्रेक्ट्रीज के मालिकों को इतनी बड़ी राशि क्यों दी जा रही है तथा इस राशि को किस्तों में भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था किन कारणों से की गई है ? हमें ब्याज बचाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि वर्तमान मंत्री श्री कुमारमंगलम् के मार्गदर्शन में यह परियोजना, जिसे अब हाथ में लिया जा रहा है, उन कठिनाइयों से मुक्त हो जाएगी, जो देश में इस्पात उत्पादन में बाधा डाल रही थी।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : श्रीमन्, कई सदस्यों ने मुआवज़े का प्रश्न उठाया है। वास्तव में मुआवज़ा गैर सरकारी पक्ष को नहीं मिल रहा है। औद्योगिक वित्त निगम जो गैर सरकारी पक्ष का एक प्रमुख ऋणदाता है, ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील करके इस मामले को उठाया है। हमने औद्योगिक वित्त निगम को अभी लगभग 81 लाख रुपये देने है। अतः यह समस्त धनराशि इस निगम को ही दी जायेगी, जिसको कम्पनी की परिसम्पत्ति पर पहले ही बन्धक अधिकार प्राप्त हैं। जो शेष बच गया है उसे युनाइटिड बैंक आफ इंडिया को दिया जाएगा। यह बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तथा कम्पनी के ऋणदाताओं में से ही एक है।

ऐसा पूछा गया है कि हमने इसे अध्यादेश के माध्यम से क्यों लागू किया है। इसका कारण स्पष्ट रूप से यह है कि मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन पड़ा हुआ है। बिरला की ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स के पक्ष में एक आदेश पहले ही पारित हो चुका है। इसके लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत एशियन रिफ्रेक्ट्रीज़ लिमिटेड को नियंत्रण में लेने के लिए अनुमति मांगी थी। हमने इस बारे में सोचा कि हम इसमें और अधिक विलम्ब नहीं कर सकते। हमें या तो इस विषय में अनुमति दे देनी चाहिए अथवा उसे अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। प्रतीक्षा करने के बजाय हमने यह भी सोचा कि उसे अपने नियंत्रण में ही ले लेना अधिक सुरक्षित तथा उचित होगा।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस समय लगभग 400 कर्मचारियों में से केवल 22 कर्मचारी मशीनों के रखरखाव के लिए ही काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि वे लोग हमारे द्वारा इस पर नियंत्रण हो जाने के बाद भी कार्य करते रहेंगे। जहां तक दूसरे कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनमें से काफी लोग कहीं और चले गए हैं तथा वे यहां आने में अब कोई रुचि नहीं रखते हैं। हम निस्सन्देह उन कर्मचारियों को कार्य पर वापस ले लेंगे जो यहां का कार्य करने के योग्य होंगे।

हम इस कारखाने को अपने हाथ में ले रहे हैं क्योंकि इसकी मशीनरी अच्छी दशा में है। हमने इसका परीक्षण कर लिया है। 2 करोड़ रुपये व्यय करके इससे हम 36000 टन अच्छी रिफ्रैक्ट्रियां प्राप्त कर सकते हैं। हम अधिक आधुनिक तथा अच्छी रिफ्रैक्ट्रियों के उत्पादन के लिए सन्तुलनकारी उपकरण लगाने के लिए अतिरिक्त धन राशि व्यय कर रहे हैं और हमारा विचार यह है कि आर्थिक दृष्टि से तथा बोकारो और देश के हित में यह एक अच्छा पूंजी निवेश है।

जब हमने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय की सलाह ली कि उसके विचार में मुआवज़ा देने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो उस समय उनका विचार यह था कि यदि यह धनराशि एक बार देने के बजाय किस्तों में दी जाये तो ऐसा करना लाभप्रद होगा क्योंकि ऐसा करने से हम फैक्ट्री को चालू कर सकेंगे तथा इससे होने वाले लाभ में से ही इसका भुगतान कर सकेंगे।

बोकारो में आग लगने से जो बड़ी हानि हुई है, उसका भी सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया है। एक जांच समिति इस मामले की जांच कर रही है। उस समिति के निष्कर्षों पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। हमसे इस बात के लिए गारंटी देने के लिए पूछा गया है कि कारखाना सुचारू रूप से कार्य करेगा। हमने यह भी निर्णय किया है कि विधेयक के खंड 9 के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र को वर्तमान समय में नये कारखाने के स्थापित होते ही उसका प्रबन्ध सम्भालना चाहिए। यह निश्चित है कि इसका बोकारो स्टील्स से निकट का सम्पर्क होगा। इस फैक्टरी की उत्पादन क्षमता 36,000 टन है जिसका उपयोग बोकारो स्टील्स करेगी। अतः इनके बीच सम्बन्ध स्थापित होना स्वाभाविक ही है। हम बोकारो और एशियन रिफ्रैक्ट्रीज़ के बीच परिवहन सम्पर्क स्थापित करने की ओर अवश्य ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लौह तथा इस्पात उद्योग की आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उच्चतापसह के प्रदाय में वृद्धि के प्रयोजनार्थ एशियन रिफ्रैक्टरीज़ लिमिटेड, के उपक्रम के अर्जन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 11, खंड 1, अधिनियम सूत्र प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

खंड 2 से 11, खंड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयम में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 11, clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

कोक कोयला खान (आपात उपबन्ध) विधेयक
COKING COAL MINES (EMERGENCY PROVISIONS) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम कोक कोयला खान (आपात उपबन्ध) विधेयक पर चर्चा करेंगे ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कोक कोयला खानों और कोक भट्टी प्लांटों का राष्ट्रीयकरण होने तक, लोक हित में, उनके प्रबन्ध ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक को पास करके सरकार इस्पात और खान मंत्रालय संबन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए 2 जुलाई, 1971 को मेरे द्वारा दिए गए वचन का पालन कर रही है ।

उस वचन का पालन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर को एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें कोक कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण तक उनके प्रबन्ध को अपने हाथों में लिए जाने का उपबन्ध किया गया था । यह विधेयक अब उस अध्यादेश का स्थान ले लेता है ।

कोक कोयला धातु कार्मिक ग्रेड कोक को, जो लोहा निकालने के काम आता है, तैयार करने के लिए अत्यावश्यक वस्तु है । हमारे देश में कोक कोयला के भण्डार बहुत ही कम हैं ।

यह अनुमान लगाया गया है कि प्राइम कोक कोयला के भण्डार लगभग 460 करोड़ मीटरी टन है और मध्यम कोक कोयला के लगभग 680 करोड़ मीटरी टन है । बैरियरों, माईनिंग तथा धुलाई में जमा कोयले की हानि के लिए छूट देने के बाद धातुकार्मिक प्रयोजनों के लिए उपबन्ध प्राइम कोक कोयला अनुमानित 136 करोड़ मीटरी टन होगा । देश में कोकिंग कोयला खान उद्योग

विशेष रूप से मुख्य कोकिंग खान उद्योग का ढांचा बहुत ही असंतोषजनक रहा है। लगभग 200 कोकिंग कोयला खानें झरिया कोयला क्षेत्रों में स्थित हैं। वर्तमान उद्योग काफी बिखरा हुआ है और अधिकांश खानें छोटे पैमाने पर चलाई जा रही हैं। बड़े पैमाने पर बचत तभी की जा सकती है यदि खानों में प्रति दिन कम से कम 3000 मीटरी टन से 4000 मीटरी टन तक कोयले का उत्पादन किया जाये।

इस स्थिति में कुछ समय तक सरकार के लिए यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार का हस्तक्षेप स्पष्टतः बहुत आवश्यक था। हमने एकाएक जो खोज की है, वह कोई नई नहीं है। 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कोयला खान समिति नियुक्त की गई थी, उसने भी कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। 1937 से इन कोयला खानों के कार्य संचालन की जांच करने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की गई थी और इन सभी समितिमों ने इस बात को स्वीकार किया था कि झरिया कोयला क्षेत्र बड़ी कठिन स्थिति में है और यदि इनका राष्ट्रीयकरण न किया जाए तो कम से कम इन छोटी कोयला खानों का विलीनीकरण करने और इनको एक साथ मिलाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर मितव्ययता और खान सम्बन्धी वैज्ञानिक और युक्तियुक्त तरीकों से लाभ उठाया जा सके।

लेकिन इन वर्षों में जो कदम उठाए गए, उनका कोई मूल्य नहीं है। इन कदमों से कुछ भी नहीं हुआ। अन्ततः यह बात स्पष्ट हो गई है कि हमें कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि हमने इस मामले में बहुत विलम्ब कर दिया है।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण हेतु अधिकांश खान मालिक ऐसे कार्यों में शामिल होने लगे जिससे खानों को क्षति पहुंचने लगी। मूल्यवान उपकरण, गाड़ियों, पम्पों आदि को हटाया गया और नकदी को निकाल दिया गया। अतः इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करना सरकार के लिए अत्यावश्यक हो गया। इसी कारण 214 कोककर कोयला खानों के प्रबन्ध को हाथ में लेने के लिए अध्यादेश जारी किया गया।

जिस समल इन खानों को सरकार ने अपने अधिकार में लिया तो यह पता चला कि कुछ मिल मालिकों ने अपने कोक भट्टी संयंत्रों के स्वामित्व और प्रबन्ध को कोककर कोयला खानों से अलग करने की व्यवस्था कर ली थी। दुर्भाग्यवश इस अध्यादेश में यह बात नहीं थी। हमने विधेयक के अन्तर्गत इस बात की शक्ति प्राप्त कर ली है कि इन कोक भट्टी संयंत्रों को भी अपने हाथ में लिया जाये, जो कोककर कोयला खानों के अन्तर्गत हैं। कोककर कोयला खानों का प्रबन्ध इस समय महा-अभिरक्षक के हाथ में है। इन खानों और कोक भट्टी संयन्त्रों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के लिए एक सरकारी कम्पनी बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई है और ऐसी कम्पनी स्थापित करने के लिए इस विधेयक में उपबन्ध कर लिया गया है।

लोहा और इस्पात उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोककर कोयले की सप्लाई की वृद्धि को मुख्यतः ध्यान में रखते हुए ही कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा गया है।

समूचा झरिया कोयला क्षेत्र में पूर्णतया परिवर्तित हो जाएगा और दस वर्ष तक इसका पुनरायोजन करना पड़ेगा। हमें पोलैण्ड सरीखे अन्य देशों से कोयला खानों के बारे में बहुत कुछ सीखना है। इस क्षेत्र के पुनर्निमाण में हमें सहायता देने के लिए पोलैण्ड के विशेषज्ञों के देश में आने की सम्भावना है।

हमें कोककर कोयला खानों के खान मालिकों के विरोध का सामना करना पड़ा जो हमारे मार्ग में कई बाधाएं पैदा कर रहे हैं।

कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों ने सरकार के इस निर्णय का अत्यधिक स्वागत किया है। वे चाहते हैं कि कोयला क्षेत्र में व्याप्त कदाचार, मजूरी-भुगतान में धोखेबाजी, जाली नामों की श्रमिक सूचियों आदि का अन्त हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

हम ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कोयला खानों में प्रबन्धक अच्छे हों और वहां योग्यता प्राप्त इंजिनियरों की भर्ती हो। जहां तक इन खानों में उत्पादन का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण के बाद उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि खानों का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है और चलता रहेगा। विधेयक में प्रबन्ध के लिए मुआवज़े की व्यवस्था है। इसकी भी कड़ी आलोचना की गई है। किन्तु अनुच्छेद 31 के अनुसार मुआवजे की राशि से बचा नहीं जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसका समर्थन करें।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

आठवां प्रतिवेदन

श्री सन्त बक्श सिंह (फतेहपुर) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 8 वें प्रतिवेदन से, जो 8 दिसम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 8वें प्रतिवेदन से, जो 8 दिसम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES

Shri R.V. Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, Sir the Minister has himself admitted in reply to one of the questions on 19th November that there has been a rise in the prices. The statement attached with the reply says that the prices of Jowar, Bajra Onion and sugar have gone up by 11.7 per cent, 13.7 per cent, 90 perseent and 13 per cent respectively. The prices of Kerosene oil have gone up by Rs. 3/- per tin. I would like to know the steps taken by Government to bring down the prices of these commodities.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्रीमान्, मूल्य-वृद्धि के प्रश्न पर सभा में विभिन्न रूपों में चर्चा प्रायः होती रहती है। श्री बसु ने जो तथ्य और आंकड़े इस सम्बन्ध में दिये हैं, उनके बारे में किसी को असहमति नहीं हो सकती। सरकार भी यह मानती है कि मूल्य-वृद्धि हुई है और वह इस प्रश्न पर चिन्तित भी है। मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार प्रभावकारी उपायों पर विचार कर रही है।

यद्यपि सरकार मूल्य-वृद्धि को बंगला देश की समस्या का परिणाम नहीं बताना चाहती, किन्तु इस तथ्य की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कुछ हद तक इसका प्रभाव मूल्य-वृद्धि पर अवश्य पड़ा है। गत बजट के समय संसाधन बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन लाने के लिए प्रयास किया गया था, जिससे मूल्यों में स्थिरता आती, किन्तु इस असाधारण परिस्थिति ने हमारे प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया है। इस समय हमें ऐसा प्रयास करना है जिससे आर्थिक विकास हो, सट्टेबाजारी और असामाजिक तत्वों पर सरकार का नियंत्रण हो। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं में मूल्य-वृद्धि का विरोध करने की प्रवृत्ति पैदा दो। इससे समाज विरोधी तत्वों पर काबू पाना सुगम होगा। यदि हर मोहल्ले में समाज-विरोधी तत्वों का विरोध करने वाला संगठन हो, तो इन तत्वों को निश्चय ही समाप्त किया जा सकता है।

वर्ष 1968-69 और 1969-70 में मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहे। वर्ष 1970-71 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वस्तुतः जून 1970 से मई 1971 तक मूल्य स्थिर रहे और इस अवधि में सूचकांक 180.9 से बढ़कर केवल 181.9 हुआ। किन्तु स्थिति कुछ बिगड़ी और सितम्बर 1971 में मूल्य सूचकांक बढ़कर 192.5 हो गया। किन्तु वस्तुओं के मूल्य में 2.5 प्रतिशत की कमी हुई है। अब औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और इसका मूल्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

मूल्य-वृद्धि के प्रश्न पर विचार करते समय हमें कुछ बातों पर अवश्य ही ध्यान देना होगा। वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण, 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण और युद्ध की वर्तमान स्थिति का प्रभाव हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ा है। इन तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आर्थिक वास्तविकताएं है। इन बातों का प्रभाव मूल्यों के ढांचे पर भी पड़ता है। इन परिस्थितियों के बावजूद मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। गैर-योजना खर्च में 5 प्रतिशत की कमी कर दी गई है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास किया गया है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों में वित्तीय और राजकोषीय अनुशासन के बारे में निर्णय किया गया। औद्योगिक उत्पादन

उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कच्चे माल के आयात की छूट दी गई है। कुछ वस्तुओं को दैनिक आवश्यकता की सूची में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंको में ऐसी नीति अपनायी गई है जिससे उनके द्वारा दिये गये ऋणों से वायदा-बाजार को बढावा न मिले। हां ऐसे कार्यों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण देते रहेंगे, जो उत्पादनवृद्धि में सहायक होते हैं।

जहां तक करों की बकाया राशि और काले धन का सम्बन्ध है, सभा इस सम्बन्ध में अपनायी गयी सरकार की नीति से अवगत है। प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त कर रखी है। प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति विचार कर रही है। कर-वसूली के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं। जहां तक राज्य-व्यापार का सम्बन्ध है, सरकार की नीति यह है कि खाद्यानों के व्यापार पर सरकार अपना नियंत्रण चाहती है। उपभोक्ता उद्योग के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है जिससे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य स्थिर हो सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सरकार ने जो कदम मूल्य-नियंत्रण के लिए उठाये हैं, वे ठीक हैं और धीरे-धीरे मूल्य-वृद्धि पर काबू पाया जा सकेगा। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान् मंत्री महोदय ने उन आरोपों का उत्तर अपने भाषण में नहीं दिया है, जो सभा में सरकार पर लगाये गये हैं। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया गया ? मेरे विचार से मूल्य-वृद्धि, सरकार की एकाधिकारवादियों के साथ साठ-गांठ का परिणाम है। क्या कारण है कि इतने थोड़े समय में मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? साथ ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मूल्य-वृद्धि की शुरूआत मार्च 1971 से पहले ही हो गई थी जबकि बंगला देश की समस्या पैदा भी नहीं हुई थी। सरकार यदि सोयाबीन तेल को जून 1971 में बाजार में भेज देती तो उसके मूल्य न बढ़ते। यह उचित समय है जबकि चीनी जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सरकार अपने सुरक्षित भंडार से बाजार में भेजे। रुई और सूती कपड़े के मामले में, सरकार की वित्तपोषण सम्बन्धी नीति बड़ी ही उदार है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय रुई निगम जैसी सरकारी संस्थाएं भी बिचौलियों या आड़तियों को प्रोत्साहन दे रही हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, किन्तु उन पर अभी तक उन्हीं लोगों का प्रभाव है, जिनका बैंक-राष्ट्रीयकरण से पूर्व उन पर नियंत्रण था। इस प्रकार सरकार एकाधिकार-वादियों का पक्ष ले रही है। यह सच है कि खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। किन्तु इस स्थिति में भी खाद्यानों के मूल्य में वृद्धि क्यों हुई ? आज जनसाधारण दोनों ओर से पिस रहा है। एक ओर वह भारी कर देता है और दूसरी ओर उसे वस्तुओं का मूल्य अधिक देना पड़ता है, जबकि बड़े लोगों को अछूता छोड़ दिया जाता है।

मैंने सुझाव दिया था कि कोयला खान मालिकों से करोड़ों रुपये की रायल्टी की बकाया राशि वसूल की जाए परन्तु प्रधान मंत्री इस बारे में कुछ नहीं करना चाहतीं। मैंने यह भी सुझाव दिया था कि सभी प्रकार के विज्ञापनों पर कर लगाया जाना चाहिये। परन्तु इस सुझाव को स्वीकार नहीं

किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव एकाधिकारवादियों पर पड़ेगा।

जहां तक उपभोक्ताओं द्वारा प्रयास किए जाने का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहता हूं कि पुलिस ऐसे उपभोक्ताओं को पीटती है और परेशान करती है। यह बात बिलकुल अनुचित है। जब तक केन्द्रीय सरकार राज्यों को पूरी आर्थिक शक्तियां नहीं देती तब तक राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। वर्ष 1970-71 में एक भी राज्य ने फालतू बजट नहीं दिखाया है। इसका एक कारण यह है कि सरकार राज्यों में मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असफल रही है। जिन लोगों के पास बहुत अधिक भूमि है सरकार उन से कृषि-कर वसूल नहीं करना चाहती। केन्द्रीय सरकार की वित्तीय नीति के कारण ही आज राज्यों की यह स्थिति है। अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का शासन है। अतः इस स्थिति की जिम्मेदारी किसी अन्य दल पर नहीं है।

रिजर्व बैंक का कहना है कि पूंजी नियोजन में कमी हुई है। केन्द्रीय सरकार एकाधिकार-वादियों को प्रोत्साहन देती है तभी वे अपनी वास्तविक आय और लाभ को छिपाते हैं। फिर पूंजी नियोजन ठीक ढंग से नहीं किया जाता। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में 9 अक्तूबर, 1971 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में 'एन ऐस्से इन फार्मलिज़म' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख को पढ़ना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "यह सभा वस्तुओं, विशेषकर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में तीव्रता से तथा अनियंत्रित गति से हो रही चौतरफा वृद्धि तथा उसे रोकने में सरकार की सर्वथा असफलता पर असंतोष तथा चिन्ता व्यक्त करती है।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

The Resolution was negatived.

बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. UNEMPLOYMENT PROBLEM

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) I move :

> "This House urges upon the Government to take effective measures immediately to remove unemployment among the educated and uneducated people.:"

The figures regarding unemployment have been given in the preceding Five Year Plans But it has now been stated that it is very difficult to collect these figures for the Fourth Five Year Plan. An expert Committee was appointed under the Chairmanship of Shri Dantewala. He said that he could not find the figures of under employed and fully unemployed people and suggested that another committee should be appointed for that purpose. Thereafter, Bhagwati Committee was set-up but they have not submitted their report as yet. The President of India said that the setting up of a committee is in the true bureaucratic tradi-

tion. He suggested that some solution should be found out instead of appointing Committes. I have read a paper in the Parliamentary Library in which it has been stated that 28 million people will need employment by the end of the 4th Five Year Plan. I want to know as to what actions has been taken to solve the problem of unemployment? Mrs. Gandhi has stated that unemployment and disparaties in wealth were the most serious problems facing the country. She further said that two problems were inter-related and their solution would require a combination of many approaches only a major overhaul of the country's economic and educational structure and a reorientation of the goals and methods would enable the nation to find lasting remedies although a few short term programmes were also necessary. She said all these things but even after one year, there is no improvement in the unemployment situation.

"In so far as regional imbalances are concerned, it has been stated in a publication that in Bihar and Orissa the growth rate continued to be less them one per cent—Bihar 0.9 and Orissa 0.1." I want to point out that the whole planning, legislation and constitution are defective and Government should recast them. The existing system of education has failed to meet the needs of society.

The Government should explore the avenues of employment. I have got a report in which it has been stated that in case Government was prepared to spend Rs. 77 thousand crores for ten years, the problem of unemployment could be solved. I want to know the action taken by the Government in this regard? Unless Government amends the constitution and change the educational system, the problem of unemployment cannot be solved. They should also decide the ratio of minimum and maximum income.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए तुरन्त प्रभावी उपाय करे।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह संकल्प बिल्कुल विवादास्पद नहीं है। इसलिए सरकार को इसे तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे विचार में इस पर चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प में जो कुछ लिखा है, सरकार वह काम पहले ही कर रही है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस काम की गति तेज कर दी जाए। क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहते हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं इस संकल्प को इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये मैं चर्चा को रोक नहीं सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार ने इस सभा में बेरोजगारी सम्बन्धी समिति गठित करने का आश्वासन दिया था और उसके 13 महीने बाद यह समिति बनाई गई। फिर स्थान व कर्मचारी देने में 4 महीने और लगा दिए। इस कार्य का यह महत्व है। मेरा विचार यह है कि बेरोजगारी के लिए वर्तमान ढांचा ही जिम्मेदार है। इसीलिए बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है।

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य बेरोजगारी सम्बन्धी समिति के सदस्य हैं। इसलिए उन्हें अपने विचार समिति के सभापति के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहियें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु मैं इस सभा का भी सदस्य हूं।

सरकार ने श्रम प्रधान प्रयत्नों और उद्योगों की उपेक्षा की है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाए हैं जिनके अन्तर्गत एक वर्ष में दो या तीन फसलें पैदा की जा सकती हैं। इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण और सड़कें आदि बनाने सम्बन्धी कार्य की भी उपेक्षा की गई है। लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों और कृषि पर आधारित उद्योगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि हमारी प्रतिव्यक्ति आय सब से कम है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने स्वयं यह समस्या पैदा की हुई है। क्योंकि वह केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : मुझे इस संकल्प के पेश किए जाने पर तो प्रसन्नता है परन्तु इसमें "तुरन्त" शब्द पर मेरी आपत्ति है। यदि यह शब्द हटा दिया जाता तो मैं इस संकल्प का अवश्य समर्थन करता। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने बेरोजगारी की समस्या को पहचान लिया है परन्तु वस्तुतः स्थिति यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट रूप से स्पष्ट तौर से कुछ नहीं किया गया है।

मैं यह मानता हूं कि इस समस्या का ठीक ठीक अनुमान लगाना तो कठिन है। केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में आंकड़े जुटाये जा सकते हैं जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम रजिस्टर्ड कराये हैं और यह टोटल प्राय: 40 लाख हैं परन्तु यदि हम इस बेरोजगारी के शिकार ग्रामीण क्षेत्रों को जहां लोगों ने अपने नाम पंजीकृत नहीं कराये हैं, देखें तो मालूम हो जाता है कि यह समस्या देश भर में एक सशक्त समस्या के रूप में विद्यमान है।

यद्यपि योजना आयोग तथा सरकार ने इस संदर्भ में विभिन्न कदम उठाये हैं परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि केवल समितियां ही नियुक्त करने से समस्या हल नहीं होती है। यह तो एक बहकावा मात्र है। सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या को हल करने के लिए वैसा ही दृढ़ निश्चय, कटिबद्धता, आयोजन और विजय की भावना अपनाये जो उसने पाकिस्तान के साथ हाल ही के युद्ध में अपनाई है।

मैं बड़ी गंभीरता से यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए एक जोर-दार कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए। स्व-रोजगार अधिकाधिक लघु उद्योग, अधिक श्रम-प्रोत्साहन कार्य, वृहत मंडियां, माल की अधिक मांग और तदनुरूप अधिकतम उत्पादन के द्वारा इस रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। स्व-रोजगार और शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए देश में बहुत बड़े सरकारी निर्माण कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ऋण मिलना सरल हो गया है अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि समितियों को नियुक्त करने, उनके लिए भवन की व्यवस्था करने, प्रश्नावलियां भेजने आदि पर काफी धन खर्च करने की बजाय वह रोजगार के लिए सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से जोरदार कार्यक्रम चालू करें। यही सर्व विदित समाधान है। अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी इसी प्रकार अपने देश को क्रान्ति से बचाया था। अतः सरकार को चाहिये कि वह श्रम-प्रधान कार्य जैसे सड़क निर्माण, वृहत आवास निर्माण योजना, छोटी सिंचाई योजना आदि के कार्यक्रम को हाथ में ले। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार इस उद्देश्य के लिए मंत्रिमंडल की एक विशेष समिति नियुक्त करे जिसका कार्य रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं की गति तेज करना हो। रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार एक रोजगार मंत्री भी नियुक्त करे। हमें इस समस्या को हल करने के लिए उसी प्रकार की योजना तैयार करनी चाहिए जैसी युद्ध नीति के लिए, विस्तार से हर सामाजिक महत्व की बात पर पूरी तरह से गौर करके बनाई जाती है। अतः सरकार शीघ्र लोक निर्माण कार्यों को हाथ में ले।

मेरा अनुमान है कि इस उद्देश्य के लिए हमें 3 अथवा 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष प्रायः 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। जब अन्य अनेक मदों पर इतनी राशि खर्च की जा सकती है तो फिर अपने युवा वर्ग में विश्वास और सन्तोष की भावना का सृजन करने के लिए और विकास का वातावरण पैदा करने के लिए मैं समझता हूं कि रोजगार के संदर्भ में इससे भी अधिक राशि का व्यय करना यथेष्ठ होगा।

उसी रूप में तो इस संकल्प को स्वीकार भी किया जा सकता परन्तु मैं यह भी सुझाव नहीं दूंगा कि बेरोजगारी-राहत दी जाए परन्तु बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्य अवश्य आरंभ किए जाने चाहिए। अन्यथा आपको बेरोजगारी भत्ता देना ही होगा।

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : सरकार द्वारा दिये गए आंकड़ों के अनुसार देश में हर वर्ष 70 लाख शिक्षित बेरोजगार बढ़ जाते हैं। सरकार ने देश में इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारों के लिए क्या ठोस योजनाएं बनाई हैं ? इस प्रश्न पर अनेक समितियां गठित की गई हैं और सरकार केवल इन समितियों की आड़ में ही इस समस्या को हल करने की परेशानी से बची रहना चाहती है। सरकार न जाने इस सम्बन्ध में क्या इरादे रखती है।

न जाने मन्त्री महोदय क्यों अपने ही दल के एक सदस्य द्वारा पेश किये गए इस संकल्प को मानने को तैयार नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस संकल्प को निस्संकोच स्वीकार कर ले अन्यथा ऐसा आभास हो सकता है कि सरकार इस प्रश्न को टालना चाहती है।

भले ही सरकार कितनी ही समितियां नियुक्त कर ले परन्तु मेरे विचार से जब तक सरकार निश्चित होकर सभी गैर-सरकारी उद्योगों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण नहीं करती, तब तक इस

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised Translated Version based on English translation of a speech in Tamil.

समस्या का हल होना संभव नहीं हैं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां सरकारी क्षेत्र में एक स्नातक को 300 या 400 रुपये मासिक वेतन मिलता है वहां गैर सरकारी क्षेत्र में उच्च प्रबंधक आदि के नाम में उसी के स्तर के एक स्नातक को 3000 से 4000 रुपये वेतन मिलता है । यदि सरकार इन गैर सरकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दे तो उसके एक-एक स्नातक के स्थान पर 10 या 15 स्नातकों को रोजगार मिल सकता है । मेरा आरोप है कि सरकार राष्ट्र-हित के विरुद्ध इन गैर सरकारी उद्यमों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है और इसी कारण हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है । अतः यह समस्या तभी हल हो सकती है जब सरकार इन सभी गैर सरकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दे । परन्तु सरकार ऐसा करने में बहुत कष्ट महसूस कर रही है ।

सरकार ने पश्चिम बंगाल में फैले नक्सलवाद को समझने का प्रयत्न नहीं किया । ये लोग नक्सलवादी क्यों बने ? वे लोग वस्तुतः शिक्षित बेरोजगार हैं जो नक्सलवादी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं । उनकी इन गतिविधियों की इस प्रकार आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है । जब इन लोगों को शिक्षित होने पर भी वर्षों तक रोजगार नहीं मिलता तो ये कहां तक संतोष करेंगे ? जब वह देखते हैं कि उन्हीं की तरह कुछ शिक्षित लोग तो गैर सरकारी क्षेत्रों में हजारों रुपये वेतन पा रहे हैं और ये लोग भूखों मर रहे हैं तो उनके द्वारा हिंसात्मक कार्यवाहियां करना स्वाभाविक हो जाता है और इसी को नक्सलवाद कहा जाता है । मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि यदि इस स्थिति को बढ़ने से नहीं रोका गया तो देश में खूनखराबा फैल जाएगा । इस परिस्थिति से बचने के लिए सरकार को कोई कारगर कार्यवाही करनी ही चाहिए ।

सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए केवल 50 करोड़ रुपये का जो जोरदार कार्यक्रम बनाया है उससे यह समस्या मामूली सी भी हल नहीं होंगी । यह तो हाथी के मुँह में जीरा डालने व ली बात है । इसी प्रकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 71-72 में केवल 25 करोड़ रुपये का नियतन करना है । मेरे विचार से ये योजनाएं भी केवल कागजी योजनाएं हैं और इनकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है । यद्यपि मंत्री महोदय ने अनेक योजनाएं का वर्णन किया है परन्तु कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि वस्तुतः कौन-कौन सी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार सच्चे हृदय से राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करे । समितियों के गठन पर भारी धनराशि नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं है । इससे बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की जा सकेगी ।

मेरा फिर अनुरोध है कि सरकार इस समस्या को गम्भीरता से समझे और इसका हल निकालने के लिए कारगर कदम उठाए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन् यद्यपि यह निर्णय लिया गया है कि सभा प्रतिदिन 10 से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए इस समय-सीमा में वृद्धि नहीं की जा सकती । मेरा निवेदन है कि आज सभा एक घण्टा अधिक बैठे और श्री बड़े तथा श्री एच० एन० मुखर्जी के संकल्पों पर भी विचार कर ले ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा यह निर्णय कर चुकी है कि 10 से 1 बजे तक उसकी बैठक होगी। अब यह सभा पर है कि वह अतिरिक्त बैठना चाहती है अथवा नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफ़न : प्रश्न यह है कि उपरोक्त गैर सरकारी संकल्पों का कितना महत्व है। मेरे विचार से ये संकल्प कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं और हमें विलम्ब तक बैठने के लिए बाध्य न किया जाए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उन्हें अपना प्रस्ताव पुरःस्थापित तो करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरे लिए संभव नहीं है। जब तक सभा विचारणीय वर्तमान संकल्प पर अपना विचार पूरा नहीं कर लेती। मैं अगले संकल्प पर विचार करने की कैसे अनुमति दे सकता हूं।

Shri M.C. Daga (Pali) : The menace of unemployment is weakening the very root of our society and it has become very important for all of us to do something very solid and concrete to get rid of it.

For this, we will have to make our education productive so as to enable every diploma-holder to get employment just when he is out for it. He should get an appointment letter with his diploma. Otherwise the mental agony of our educated unemployed Youths would cause enough harm to the nation.

In Britain, the newspapers daily publish the statistics regarding employed and unemployed persons in the country whereas we are not able to correctly known as to how many persons are unemployed in the country.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगले अवसर पर अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 13 दिसम्बर, 1971/22 अग्रहायण, 1893 (शक) के म० पू० 10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sahba then adjourned till Ten of the Clock on Monday December 13, 1971 / Agrahayana 22, 1893 (Saka)

Printed by Bharat Mudranalaya, Navin Shahdara, Delhi-32. 28-1-72—490